



2026:AHC:30928

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - सी संख्या - 2519, वर्ष 2026

राजराम

.....याची

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 3 अन्य

.....प्रतिवादी

याची हेतु अधिवक्ता

: राज कुमार सिंह, विपिन कुमार

प्रत्यर्थी हेतु अधिवक्ता

: मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पांडेया

1. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना गया तथा अभिलेख का परिशीलन किया गया।
2. यहाँ प्रस्तावित आदेश के दृष्टिगत, निजी प्रत्यर्थी को नोटिस जारी करने और इस याचिका को इस न्यायालय के समक्ष लंबित रखने का कोई उपयोगी उद्देश्य सिद्ध नहीं होगा। हालांकि, यदि निजी प्रत्यर्थी इस आदेश से व्यथित महसूस करते हैं, तो आदेश के संशोधन/परिवर्तन की मांग करने का उनका अधिकार सुरक्षित रखा गया है।
3. याची ने निम्नलिखित प्रार्थना के साथ वर्तमान याचिका प्रस्तुत की है:-
 1. एक रिट, आदेश या निर्देश जारी किया जाए जिसके माध्यम से प्रत्यर्थी संख्या 3 को यह निर्देशित किया जाए कि वह वाद संख्या 325/17 कंप्यूटरीकृत वाद संख्या T202715959061856 (राजराम बनाम छबीला) में दिनांक 31.10.2019 के आदेश के विरुद्ध दायर पुनर्स्थापन आवेदन संख्या 37/2021 को खोजें और एक निर्धारित अवधि के भीतर निस्तारित करें। आगे यह भी प्रार्थना की गई है कि यदि पुनर्स्थापन आवेदन नहीं मिल रहा है, तो याची के पास उपलब्ध कार्यालय प्रति को अभिलेख पर रखा जाए और पुनर्स्थापन आवेदन पर विधि के अनुसार समयबद्ध तरीके से निर्णय लिया जाए।
4. याची के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया कि मामला निचले न्यायालय के समक्ष लंबे समय से लंबित है और काफी समय बीत चुका है, किंतु आज तक मामले में कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।
5. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, वर्तमान याचिका संबंधित प्रत्यर्थी को यह निर्देश देते हुए निस्तारित की जाती है कि वे या तो उपरोक्त पुनर्स्थापन आवेदन को खोजें या याची को तीन सप्ताह के

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



भीतर नया पुनर्स्थापन आवेदन प्रस्तुत करने का निर्देश दें और उसके पश्चात, उक्त पुनर्स्थापन आवेदन पर बिना किसी अनावश्यक स्थगन के, विधि के अनुसार कड़ाई से और शीघ्रता से निर्णय लें, यदि कोई कानूनी बाधा न हो।

(प्रकाश पाडिया, न्यायमूर्ति)

11 फरवरी, 2026

सकलेन

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"